उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग-1
संख्या- 9/2020/424/एक-1-2020-रा0-1
लखनऊः दिनॉक: 06 मई,2020

अधिसूचना

जिलाधिकारी, बिजनौर के पत्र संख्या-373/सात-भूलेख-डी0एल0आर0सी0, दिनांक 25 जनवरी, 2020 द्वारा खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के माध्यम से ग्राम-महमूदपुर, परगना-दारानगर, तहसील व जनपद बिजनौर में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना हेतु मैसर्स एग्रिस्टो मासा प्रा0 लि0 को 7.353 हेक्टेअर भूमि क्रय की अनुमति उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा-90 के अन्तर्गत दिये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया।

उपर्युक्त प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8, वर्ष, 2012) की धारा-90 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके मैसर्स एग्रिस्टो मासा प्रा0 लि0 को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना हेतु ग्राम-महमूदपुर, परगना-दारानगर, तहसील व जनपद बिजनौर में भूमि क्रय किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) उपरोक्त संस्था द्वारा विदेशी पूंजी निवेश से संबंधित भारत सरकार, रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के नियमों, एफ0डी0आई0 एवं एफ0आई0पी0बी0 के मानकों का अनुपालन प्रशासनिक विभाग (खाद्य प्रसंस्करण विभाग) द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) संस्था के क्रेडेंशियल से सम्बन्धित उत्तरदायित्व प्रशासनिक विभाग (खाद्य प्रसंस्करण विभाग) का होगा।
(3) संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 यथा संशोधित 2019 की धारा 89 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार विहित सीमा से अधिक भूमि क्रय की अनुमति सम्बन्धित कलेक्टर से प्राप्त किया जायेगा।
(4) क्रय की गयी भूमि का उपयोग निर्धारित प्रयोजन अर्थात् खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना हेतु ही किया जायेगा। निर्धारित प्रयोजन से भिन्न उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा।
(5) संस्था को क्रय की गयी भूमि के किसी भी प्रकार के अन्तरण का अधिकार नहीं होगा।
(6) संस्था द्वारा क्रय की गयी भूमि के मध्य में स्थित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमियों के विनिमय का प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर स्पष्ट संस्तुति सहित जिलाधिकारी /प्रशासकीय विभाग के माध्यम से शासन को अलग से उपलब्ध कराया जायेगा।
(7) उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन पर संस्था द्वारा क्रय की गयी सम्पूर्ण भूमि राज्य सरकार में निहित हो जायेगी तथा इस हेतु किसी भी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान नहीं किया जायेगा।
(8) उपरोक्त सभी शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सम्बन्धित जिलाधिकारी व प्रशासनिक विभाग द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

रेणुका कुमार
अपर मुख्य सचिव

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद ।
4. जिलाधिकारी, बिजनौर।
5. प्राधिकृत हस्ताक्षरी, मैसर्स एग्रिस्टो मासा प्रा0 लि0, सी0-1, सेक्टर-3, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
महेन्द्र सिंह
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।